रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 1972/ज्येष्ठ 24, 1894

No. 137] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 1972/JYAISTHA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th May 1972

SUBJECT.—*Licensing conditions for Public and Private Sector for the "Eleventh Yen Credit".*

No. 65-ITC(PN)/72.—The conditions govering the issuance of import licences for Public and Private Sector for Eleventh (11th) Yen Credit from Japan as given in Appendix I & II to this Public Notice are notified for the information of the trade.

APPENDIX I

Conditions for Licensing of Public Sector Imports under the Eleventh Yen Credit.

1. The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity period of *four months* for ordering and twelve months for completing shipments. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate the Department of Economic Affairs the particulars thereof and furnish the import contract within the validity of the licence for ordering. This condition will not be deemed to have been complied with unless complete contract documents reach the Department of Economic Affairs in time.

2. Orders on the basis of firm prices in Yen currency must be placed on the Japanese suppliers within four months of issue of the import licence. If necessary, the licence may be presented to the CCI&E/JCCI&E for revalidation for ordering giving reasons why orders could not be placed within four months. The request will be considered on merits in consultation with the Department of Economic Affairs and, if accepted, the licence will be revalidated for ordering for a further period not exceeding three months.

3. The contract should be on C&F basis and clearly indicate the value of goods in Yen currency, exclusive of Indian Agent's Commission, if any, showing FOB cost and freight amounts separately.

The contract has to be approved by the Government of India and the Government of Japan for financing under Eleveth Yen Credit.

4. The value of each contract falling in different categories mentioned below should not fall below the amounts indicated against each category:

Category	*Amount (Yen Million)*
(i) Capital Goods	30
(ii) Rolls, Steel including special steel and alloy steel, chemicals	10
(iii) Indo-Japanese Joint Venture	2
(iv) The National Small Industries Corporation Ltd.	2

5. Only one contract should be entered into against the full value of the import licence. In exceptional cases, two contracts may be permitted for which prior approval of the Department of Economic Affairs may be obtained within one month of the issue of import licence.

6. The contracts should provide for payment on cash basis *i.e.* on presentation of shipping documents. The contracts under non-project loan should also provide for the period of delivery of goods as follows:

"Within.....months after the receipt of letter of Authority but to be completed latest by the end of June 1974".

No payments can be permitted beyond the 30th June, 1974 and 31st December, 1976 for contracts relating to non-project and project imports respectively.

7. Three copies of the contract between the Indian importer and the Japanese suppliers, *signed by both the parties, alongwith a copy of the valid import licence,* should be forwarded to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WEI—Section) North Block, Central Secretariat, New Delhi. Besides, a statement, in triplicate, containing the following information should accompany the request for financing of the contract under the Eleventh Yen Credit:

(i) Name, postal and telegraphic address of the Indian Importer.
(ii) Name and address of the Japanese suppliers.

(iii) Name and address of the suppliers bank in Japan and of the Importer's bank in India. Telegraphic address of the Importer's bank should also be indicated.

(iv) Value of the contract in Japanese Yen and Indian rupees converted at the composite rate of exchange, indicating F.O.B. value and freight charges separately.

(v) Short description of the goods to be imported.

(vi) A schedule indicating the probable dates and amounts of payments to be made to the supplier under the contract. The presumptions on which the schedule is based may also be indicated.

(vii) Number and date of the import licence.

(viii) Indicate if the project is an Indo-Japanese Venture. If so the following particulars of the collaboration agreement, whether financial or technical should be given in a note clearly indicating if the collaboration agreement is still valid.

1. Name and address of Japanese collaboration.
2. Date of collaboration agreement.
3. Item of manufacture.
4. Nature of collaboration.
5. Upto what period collaboration valid.
6. Any other information.

(ix) For development projects to be financed under the Eleventh Yen Credit (Project portion) additional information as in Annexure II is to be furnished (in triplicate) *before* finalising a contract, for obtaining approval of the project by the concerned Japanese authorities.

8. For projects financed under the Eleventh Yen Credit (Project portion), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE I Section, in the first the project authorities have to send a progress report (in triplicate) to the week of January and July of each year for the preceding six-monthly period.

9. *The special clauses mentioned in Annexure I should be incorporated in the contract.*

10. All payments to the supplier under the contract, including the handling charges @1/20th of the invoice value, where necessary, would be made in the Government of India, through the Embassy of India, Tokyo. *No remittance from India will be permitted against this import licence.*

11. The project authority or his banker will have to pay the rupee equivalents of all the Yen amounts paid by the Embassy of India, Tokyo, at the rates of conversion indicated below:—

The rupee equivalents of all the Yen payments made to the supplier (or his banker) by applying the composite rate of conversion as per formula laid down in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72 or as may be notified from time to time in Public Notices/A.D. circulars.

12. In the case of Public Sector undertakings, the moneys specified in condition 9 above along with interest @ 6% p.a. for the period between the date of payment to the suppliers and the date of the corresponding rupee payment should be deposited by the *concerned branch of the State Bank of India* selected by the public sector Importers in terms of Ministry of Finance letter No. F. 32(1) ECA(A)/66(P), dated 20/24-10-66, with the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6, for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 of 30-8-1968 and No. 233-ITC(PN)/68 of 24-10-1968 under intimation to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi. The

head of Account to be credited is "T-Deposits and Advances—Part II Deposits not bearing interest-Civil Deposits for purchases abroad under direct payment procedure under foreign loans/credits" under the detailed head "Deposits for cost of equipment etc. obtained under the Eleventh Yen Credit from Japan". While filling up the various columns in the challan, it will be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "Full particulars of remittance and authority (if any)" of the challan. Thereafter the treasury challan evidencing the deposit should be sent to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi, indicating references to the approval No. of the Eximbank. The Indian Bank concerned shall also arrange to deposit in the same manner any short deposits pointed out by Government of India. The concerned branch of the State Bank of India should release the negotiable set of documents only after arranging the deposits as indicated above into the Government accounts. They should also endorse the amount of deposit on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" form to the Reserve Bank of India, Bombay.

NOTE.—The above condition is not applicable to Hindustan Steel Ltd. who maintains a revolving deposit account with A. G. Bihar to whom necessary debits will be raised as indicated in para 13 below.

13. In the case of imports by the Departments of Central State Governments (including State Electricity Boards, etc.), the debits for the rupee equivalent will be raised against the A. G. concerned by the A.G.C.R., on the basis of advices issued by the Department of Economic Affairs-Economic Aid Accounts Section, New Delhi.

14. The importer should send a monthly report after the L/A has been established, regarding shipments made and payments made there against to the suppliers and the balance left to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, along with a spare copy for use of WE-I Section.

15. In case a major change is to be made in connection with the contract, the same procedure as for the main contract is to be followed and three copies of the amendments to contract duly signed by both the parties should be sent to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), (WE-I Section), North Block, New Delhi.

APPENDIX I

Special clause to be incorporated in the public sector contracts to be financed under the Eleventh Yen Credit.

(a) This export import contract is arranged in accordance with the Loan Agreement dated the 1st February, 1972, concerning the Eleventh Yen Credit to India.

(b) This export import contract shall become effective upon the approval of the Government of India and the Government of Japan.

(c) Payments in Yen under this contract will be made to the exporter by the Embassy of India in Japan, through the Bank of India Ltd., Tokyo, against presentation of the required documents drawn under and in accordance with the terms of this contract. The Counsellor (Economic) or the first Secretary or the Second Secretary (Economic) in the Embassy of India in Japan, will issue a Letter of Authority as in the form attached.

(d) The exporter hereby agrees to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangement by the Government of India and the Japanese participating BANKS.

(e) The exporter hereby agrees to make the arrangements for shipping in consultation with the Embassy of India, Tokyo. For this purpose the exporter would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced.

(f) The exporter agrees to send a cable advice to the importer after each shipment giving necessary details and a copy of the cable advice will be furnished to the Embassy of India, Tokyo, along with the other documents at the time of claiming payment. (This clause will be inserted only in cases where insurance is to be arranged by the importer).

ENCLOSURE TO ANNEXURE I.

DATE:

(The Japanese sponsoring Bank)

Irrevocable Letter of Authority No.

For amount Yen:.....

Expiring on.....

We hereby request you to advise this Irrevocable Letter of Authority to (*exporter*) and irrevocably undertake to pay you for account of (*Exporter*) through the Embassy of India in Tokyo a sum or sums not exceeding Yen..... (Say Yen.....pursuant to Japanese Foreign Exchange regulations on presentation to the Embassy of India in Tokyo of two-sets of non-negotiable copies of the following documents:

(1) Signed invoices.....quoting L/A No..... dated....., Import Licence No.....dated....., contract No..... dated....., entered between (Exporter) and (Importer), Registration No. of the Government of India and Notice of Approval No.....of the Export-Import Bank of Japan:

(2) Full set, clean, shipped "on Board" Ocean Bills of Lading dated not later than.....marked "Freight Paid"/Freight Payable at destination", made out to the order of (Importer), notify.....; and

(3) (To be completed if other documents are required under the contract) covering shipment of (Goods) from.....to Transshipment is allowed/not allowed. Partial shipments are allowed/not allowed.

The above-mentioned documents plus full sets of negotiable copies must be presented (to the Japanese sponsoring bank) not later than..... All Negotiable documents must be airmailed directly to (Importer, or his banker as the case may be name and address) by you.

NOTE.—*In the case of public sector projects, all negotiable documents are to be sent to the nominated Branch of the State Bank of India and not to the importer directly.*

ANNEXURE II

Information to be furnished in respect of Projects to be financed under the Eleventh Yen Credit (Project Portion)

I. Amount applied for financing:
 1. Total project amount applied for financing.
 2. Contract amount applied for financing.

II. Description of Enterprise:
 1. Name.
 2. Location.
 3. Brief history.
 4. Principal owner or share holder and management.
 5. Financial Statement (Balance Sheet, Profit and Loss Statement) for 3 years.
 6. Number of Employees.

III. Description of Project:
 1. Location (site, area, etc.).
 2. Planned capacity.
 3. Transportation facilities.
 4. Power and water supply.
 5. Supply of raw materials.
 6. Labour potential.
 7. Installation schedule.
 8. Marketability.
 9. Anticipated sales price and monthly turnover during initial period and after attainment of full production.
 10. Capital requirement and financing.
 11. Terms and conditions of sub-loan agreement.

APPENDIX II

Conditions for Licensing of Private sector Imports under the Eleventh Yen Credit

1. The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity period of *four months* for ordering and twelve months for completing ship parts. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate the Department of Economic Affairs the particulars thereof and furnish the import contract within the validity of the licence for ordering. This condition will not be deemed to have been complied with unless complete contract documents reach the Department of Economic Affairs in time.

2. Orders on the basis of firm prices in Yen currency must be placed on the Japanese suppliers within four months of issue of the import licence. If necessary, the licence may be presented to the CCI&E/JCCI&E for revalidation for ordering giving reasons why orders could not be placed within four months. The request will be considered on merits in consultation with the Department of Economic Affairs and, if accepted, the licence will be revalidated for ordering for a further period not exceeding three months.

3. The contract should be on CIF or C&F basis and clearly indicate the value of goods in Yen currency, exclusive of Indian Agent's Commission, if any, showing FOB cost, freight and insurance amounts separately.

The contract has to be approved by the Government of India and the Government of Japan for financing under Eleventh Yen Credit.

4. The value of each contract falling in different categories mentioned below should not fall below the amounts indicated against each category:—

Category	*Amount (Yen Million)*
(i) Capital Goods.	30
(ii) Rolls, Steel including special steel and alloy steel, chemicals	10
(iii) Indo-Japanese Joint Venture.	2

5. Only one contract should be entered into against the full value of the import licence. In exceptional cases, two contracts may be permitted for which prior approval of the Department of Economic Affairs may be obtained within one month of the issue of import licence.

A single L/C has to be opened for the *full* amount of the approved contract.

6. The contracts should provide for payment on cash basis *i.e.* on presentation of shipping documents. The contracts under *non-project* loan should also provide for the period of delivery of goods as follows:—

"Within.....months after the receipt of letter of credit but to be completed latest by the end of June 1974".

No payments can be permitted beyond the 30th June, 1974 and 31st December, 1976 for contracts relating to Non-project and Project imports, respectively.

7. Three copies of the contract between the Indian importer and the Japanese suppliers, *signed by both th parties, alongwith a copy of the valid import licence,* should be forwarded to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-I Section), North Block, Central Secretariat, New Delhi, alongwith a letter (Annexure I) from a bank authorised to deal in foreign exchange through which the letter of credit in favour of the supplier will be opened. Besides a statement, in triplicate, containing the following information should accompany the request for financing of the contract under the Eleventh Yen Credit:—

(i) Name, postal and telegraphic address of the Indian Importer.

(ii) Name and address of the Japanese suppliers.

(iii) Name and address of the suppliers' bank in Japan and of the Importer's bank in India. Telegraphic address of the Importer's bank should also be indicated.

(iv) Value of the contract in Japanese Yen and Indian rupees converted at the composite rate of exchange, indicating F.O.B. value, freight charges and insurance separately.

(v) Short description of the goods to be imported.

(vi) A schedule indicating the probable dates and amounts of payments to be made to the supplier under the contract. The presumptions on which the schedule is based may also be indicated.

(vii) Nmber and date of the import licence.

(viii) Number and date of the bank's Letter of Undertaking (Annexure I).

(ix) Indicate if the project is an Indo-Japanese venture. If so the following particulars of the collaboration agreement, whether financial or technical should be given in a note clearly indicating if the collaboration agreement is still valid.

1. Name and address of Japanese collaboration.

2. Date of collaboration agreement.

3. Item of manufacture.

4. Nature of collaboration.

5. Upto what period collaboration valid.

6. Any other information.

(x) For development projects to be financed under the Eleventh Yen Credit (Project portion) additional information as in Annexure V is to be furnished (in triplicate) *before* finalising a contract, for obtaining approval of the project from the concerned Japanese authorities.

8. For projects financed under the Eleventh Yen Credit (Project portion), the project authorities have to send progress report (in triplicate) to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE-I Section in the first week of January and July of each year for the proceeding six-monthly period.

9. *The special clauses mentioned in Annexure II should be incorporated in the contract.*

10. As soon as the approval of the EXIM Bank to the financing of the contract under the Yen Credit arrangement is received, the importer will be advised to furnish a bank guarantee (with a copy thereof) in the form prescribed as at Annexure III to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-I Section North Block, New Delhi to enable them to permit the opening of an irrevocable letter of credit on the Japanese bank. The guarantee should be furnished within fifteen days after the receipt of a letter from the Department of Economic Affairs intimating the approval of the Export-Import Bank of Japan to the contract.

11. If the bank guarantee is found in order, the Indian Bank furnishing the bank guarantee will be authorised to open a letter of credit as in Annexure IV. *No freight exchange remittance from India will be permitted under this licence.* The letter of credit would provide for payments to the suppliers or their bankers, by the specified Japanese Bank against the Eleventh Yen Credit.

12. A copy of the letter of credit should be sent by the Bank concerned to:

(i) The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-I Section), Room No. 270, North Block, New Delhi, and

(ii) The Counsellor (Economic, Embassy of India, Tokyo, Japan).

13. As and when payments are made against this licence, the importers through their bankers will have to deposit the rupee equivalents of Yen Amounts paid along with other amounts as indicated below :—

(i) Rupee equivalent of the Yen payment to the suppliers, or their bank in Japan, by applying the composite rate of conversion as per formula laid down in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28-1-72 or as may be notified from time to time in public Notices/A.D. Circulars.

(ii) Interest at 6 per cent per annum for the period between the date of payment to the suppliers, or bank in Japan and the actual date of deposit of the rupee equivalents for credit to the Government account. (*Any change in this rate will be intimated if and when made*).

14. The amount specified in condition 12 above shall be deposited with the State Bank of India, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi, or remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public notices No. 184-ITC(PN)/68 of 30-8-1968 and No. 233-ITC(PN)/68 of 24-10-1968 under intimation to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi. The head of account to be credited is "T—Deposits and Advances—Part II Deposits not bearing interest—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad under direct payment procedure under foreign loans/credits" under the detailed head "Deposits for cost of equipment etc., obtained under the Eleventh Yen Credit from Japan." While filling up the various columns in the challan, it will be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "Full particulars of remittance and authority (if any)" of the challan. Thereafter the treasury challan evidencing the deposit should be sent to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi indicating references to the approval No. of the Exim Bank. The Indian Bank concerned shall also arrange to deposit in the same manner any short deposits pointed out by Government of India. The Bank giving the guarantee should release the negotiable set of import documents to the importers only after arranging the rupee deposits as indicated above. They should also endorse the amount of the deposit on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" form to the Reserve Bank of India, Bombay.

15. On completion of the payments against the letter of credit and deposit of rupee equivalents against the Bank guarantee particulars of deposits made should be sent to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi by the bankers requeseting for release of the Bank Guarantee in the form reproduced as Annexure VI to these conditions.

16. The importer should send a monthly report after the L/C has been opened, regarding shipments made and payments made there against to the suppliers and the balance left to The Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, alongwith a spare copy for use of WE-I Section.

17. In case a major change is to be made in connection with the contract, the same procedure as for the main contract is to be followed and three copies of the amendment to contract duly signed by both the parties should be sent to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), (WE-I Section), North Block, New Delhi.

ANNEXURE I

The Secretary,

Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs,

North Block,

New Delhi.

Subject:—Import of goods from Japan under the Eleventh Yen Credit—Import Licence No.....dated.....for Rs.....issued in favour of M/s.....

Dear Sir,

We hereby undertake to furnish a bank gurantee equivalent to the value of the above mentioned import licence in your favour within 15 days of intimation of the approval of the contract by you.

2. We also undertake to establish within 15 days of the authorisation from you the necessary Letter of Credit on the Japanese Bank for the *full value* of the authorised amount and to provide you a copy thereof.

Yours faithfully,

ANNEXURE II

Special clauses to be incorporated in the Private Sector contract to be financed under the Eleventh Yen Credit

(a) This export-import contract is arranged in acordance with the Loan agreement dated the 1st February, 1972 concerning the Eleventh Yen Credit to India.

(b) This export-import contract shall become effective upon the approval of the Government of India and the Government of Japan.

(c) Payments in Yen under this contract to the exporter will be made under a confirmed irrevocable letter of credit opened in the form attached on a Japanese bank designated for the purpose through the importer's Bank in India.

(d) The exporter hereby agrees to furnish such information and documents as required under the Yen Credit arrangement by the Government of India and the Japanese participating banks.

(e) The exporter hereby agrees to furnish a report to the Embassy of India, Tokyo, immediately after completion of the shipping arrangements alongwith one copy of the invoice and one copy of the Bill of Lading.

ANNEXURE III

Guarantee Bond

'To

The President of India,

In consideration of the President of India (Hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens for the import of..... by(hereinafter called the 'importer') under the terms and conditions of Eleventh Yen Credit, we Bank Ltd., at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disburements made by the Japanese Bank converted at the composite rate of conversion laid down in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972 or as notified from time to time in Public Notice A.D. Circulars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by the Government of India under the said credit together with interest thereon at the rate of 6 per cent, per annum, from the date of payment to the Japanese supplier to the date of payment of Rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Japanese Bank will be released to the Importer only after the rupees deposits contemplated above have been made.

2. We, the Bank Ltd., also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest at the rate of interest mentioned in preceeding paragraph from the date of payment to the Japanese suppliers. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us..... Bank Ltd., shall be final and binding on us..... Bank Ltd.,

3. We Bank Ltd., further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in IMF the parity rate of exchange, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change as may be notified from time to time.

4. We Bank Ltd., further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharge.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the Bank Ltd., and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and the..... Bank Ltd., shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid on by reason of time being given to the importer on any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the affect of so releasing the Bank Ltd., from its such liability.

6. We Bank Ltd. lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government, in writing.

7. Our liability under this bond/guarantees is restricted to Rs..... (plus interest and commission charges, not expected to secured 1 per cent of the guarantee amount and this guarantee shall remain in force till**....day of.... Unless claims under this bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto.....all Government's rights under this bond/guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharger from all liability thereunder.

dated the day of 19

Accepted for aid on behalf for.....Bank Ltd.

of the President of India by

Shri

(Name and designation)

Signature Signature.....

**This date shall be arrived at by adding one month to the date up to which the Letter of Credit is required to the be kept valid.

Note:—The value of the stamped paper on which this guaranted is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE IV

(Name of issuing Bank in India)

To:—

(Designated Japanese Bank)

(Date)

This letter of credit has been issued pursuant to Articles VIII of the Loan Agreement dated the 1st February, 1972 concerning the Eleventh Yen Credit (Non-Project Aid) to India and in accordance with the Notice of Approval No.....Issued by the Export-Import Bank of Japan.

Dear Sirs,

We request you to advise.....that we have opened our irrevocable credit No.....in their favour for account of.....for a sum or sums not exceeding a total of.....available by beneficiary's draft(s) at sight for.....invoice value drawn on your (Designated Japanese Bank), covering shipment from..... to....., of..... to be..... accompanied by the following documents:

.....

.....

.....

All documents must indicate import licence No.....and the Import-Export Bank of Japan Notice of Approval No.....Partial shipments are permitted/not permitted. Trans-shipment is permitted/not permitted. Shipment must bt effected not later than..... Draft must be presented to the draweo not later than.....

All draft drawn hereunder must be marked "Drawn under..... Irrevocable Credit..... Dated..

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

All negotiable documents must be airmailed directly to us by your bank.
Special Instructions:

Special Instructions

1. This Letter of Credit does not become available unless the issuance of Letter of Undertaking as provided for in Article VIII of the Loan Agreement dated the 1st February, 1972 concerning the Eleventh Yen Credit (Non-Project Aid) is confirmed and certified by you to that effect on the face of your advice of this Credit to the beneficiary.

2. Simultaneously with the payment of draft(s) under this Letter of Credit, reimbursement shall be obtained by you in accordance with Article VIII of the said Loan Agreement.

3. All banking charges in connection with this Letter of Credit are to be paid by us.

4. The terminal date for making payments under this Letter of Credit will be.....

Yours faithfully,

Note:—The issuing Bank in India should notify the Department of Economic Affairs, (WE. I Section) of the opening of the Letter of Credit, with a copy of the Letter of Credit opened.

ANNEXURE V

Information to be furnished in respect of Projects to be financed under the Eleventh Yen Credit (Projection Portion)

I. Amount applied for financing

1. Total project amount applied for financing
2. Contract amount applied for financing

II. Description of enterprise

1. Name
2. Location
3. Brief history
4. Principal owner or shareholder and management
5. Financial Statement (Balance Sheet, Profit & Loss Statement) for 3 years
6. Number of Employees

III. Description of Project

1. Location (site, area, etc.)
2. Planned capacity
3. Transportation facilities
4. Power and Water supply
5. Supply of raw materials
6. Labour potential
7. Installation schedule
8. Marketability
9. Anticipated sales price and monthly turnover during initial period and after attainment of full production.
10. Capital requirement and financing
11. Terms and conditions of sub-loan agreement.

.. ANNEXURE VI

Form of Application for Release of Bank Guarantee

The Controller of Aid Accounts,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi.

Sir,

1. We are furnishing below detailed information on the rupee deposits made by us in discharge of our obligations under Bank Guarantee No..... dated.....for an amount of Rs.....which is valid upto..... with the request that the same may please be released and returned to us:—

(A) Name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.

(B) Exim Bank of Japan Notice of Approval No. and Date.

(C) Particulars of imports and rupee deposits made (to be given separately) for each payment/shipment:

(i) Yen payments made to Japanese supplier and the dates of payment.

(ii) Rupee deposits made, indicating the Nos. and dates and amounts of deposits and name of Treasury/Bank through which deposited.

(iii) If deposit is made by way of Demand Draft, No. and date of the Demand Draft and the No. and date of the letter under which the Draft was sent to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi.

NOTE.—Information at (i) to (iii) above should be given in a tabular form if more than one transaction is involved.

(D) Amount utilised and balance un-utilised (Yen).

2. (a) We certify that balance amount of.....Yen in the approval cited above has not been utilised/will not be utilised.

(b) Our obligations under the Bank Guarantee in question have been duly discharged.

3. We request that the Bank Guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,
(Authorised Agent for and on behalf of the Bank).

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 मई, 1972

विषय : "ग्यारहवें येन क्रेडिट" के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के लिए लाइसस शर्त ।

संख्या : 65 आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—जापान से ग्याहरवें (11वें) येन क्रेडिट के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट—1 और 2 में दी गई हैं, वे व्यापारी की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

परिशिष्ट—1

ग्यारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में आयात के लिए लाइसेंस दिये जाने के लिए शर्तें ।

1. आदेश देने के लिए लागत बीमा भाड़ा के आधार पर प्रारम्भिक चार माह की अवधि के लिए तथा पोतलदान को पूरा करने के लिए 12 महीने की अवधि के लिए आयात लाइसेंस जारी किए जायेंगे । आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयात को चाहिए कि वे उनके विवरणों से अर्थकार्य विभाग को अवगत करावे और आदेश देने के लिए लाइसेंस की वैध अवधि के भीतर आयात संविदा भेजें । इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि संविदा के पूरे विवरण ठीक समय पर अर्थ कार्य विभाग के पास नहीं पहुंच जाते ।

2. येन मुद्रा में निश्चित कीमत के आधार पर आदेश जापानी संविदकों को आयात लाइसेंस जारी होने के चार माह के भीतर अवश्यदे दिए जाने चाहिए यदि आवश्यक हुआ तो लाइसेंस को आदेश देने के लिए पुनर्वैध कराने के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात/संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को यह कारण बताते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है कि आदेश चार माह के भीतर क्यों नहीं दिए जा सके । आवेदन पर विचार अर्थकार्य विभाग के परामर्श से पात्रता के आधार पर किया जाएगा और, यदि यह स्वीकृत हो जाता है, तो लाइसेंस आदेश देने के लिए और अधिक अवधि के लिए पुनर्वैध हो जायगा और यह तीन माह से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा ।

3. संविदा लागत और भाड़ा के आधार पर होनी चाहिए और यदि, भारतीय अभिकर्त्ता का कोई कमीशन हो तो उसे छोड़कर जहाज पर्यन्त निःशुल्क तथा भाड़ा राशि को अलग प्रदर्शित करते हुए येन मुद्रा में माल के मूल्य को साफ साफ संकेत करना चाहिए ।

संविदा को ग्याहरवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत अर्थ युक्त किए जाने के लिए भारत सरकार तथा जापान सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है ।

4. नीचे उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों में आने वाली प्रत्येक संविदा का मूल्य प्रत्येक श्रेणी के सामने संकेतित धनराशि से कम नहीं होना चाहिए :—

श्रेणी	धनराशि (येन मिलियन में)
(1) पूंजीगत माल ।	30
(2) रोल्स, इस्पात जिनमें विशेष इस्पात तथा मिश्रधातु इस्पात रसायन शामिल हैं	10
(3) भारत-जापान संयुक्त उद्योग ।	2
(4) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लि०	2

5. आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए । किसी विशेष मामले में, दो संविदाओं की अनुमति दी जा सकती है । जिसके लिए लाइसेंस जारी होने के एक माह के भीतर अर्थकार्य विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है ।

6. संविदा की व्यवस्था नकद भुगतान के आधार पर अर्थात पोतलदान प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण पर होनी चाहिए । गैर-परियोजना ऋण के अन्तर्गत की संविदाओं को भी नीचे के अनुसार माल की छुड़ाई की अवधि के लिए व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए :—

> "प्राधिकरण-पत्र की प्राप्ति के————माह के भीतर, किन्तु अधिक से अधिक जून, 1974 के अन्त तक पूरा किया जाना है ।"

गैर-परियोजना तथा परियोजना आयातों से सम्बन्धित संविदाओं के लिए क्रमशः 30 जून, 1973 और 31 दिसम्बर, 1974 के बाद किसी प्रकार के भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

7. भारतीय आयातकों और जापानी संभरकों के बीच की संविदा की तीन प्रतियों जो दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित हैं, वैधआयातलाइसेंस की एक प्रति के साथ वित्तमंत्रालय, अर्थकार्य विभाग (डब्ल्यू ई 1—अनुभाग) नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली को अग्रसारित की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त, तीन प्रतियों में एक विवरण के साथ जिस में निम्नलिखित सूचना शामिल हों, ग्यारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत संविदा को अर्थयुक्त किए जाने के लिए आवेदन करना चाहिए :—

(1) भारतीय आयातक का नाम डाक तथा तार के पते ।

(2) जापानी संभरकों का नाम तथा पता ।

(3) जापान में संभरक बैंक तथा भारत में आयातक बैंक का नाम और पता । आयातक बैंक के तार के पते को भी संकेतित किया जाना चाहिए ।

(4) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तथा भाड़ा प्रभारों को अलग से संकेतित करते हुए विनिमय की मिली जुली दर पर परिवर्तित जापानी येन तथा भारतीय रुपये में संविदा का मूल्य ।

(5) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ।

(6) इस संविदा के अन्तर्गत संभरकों को किये जाने वाले भुगतानों की संभावित तारीख तथा धन राशि को संकेतित करते हुए एक अनुसूची ।

(7) आयात लाइसेंस की संख्या तथा तारीख ।

(8) यदि परियोजना भारत-जापानी उद्यम की है, तो उसका संकेत कीजिए । यदि ऐसा है तो सहयोग करार के निम्नलिखित विवरण चाहे वे आर्थिक हों या तकनीकी, यदि सहयोग करार अभी भी वैध है, तो उसको स्पष्टरूप में संकेतित करते हुए उसे एक नोट में दिया जाना चाहिए ।

1. जापानी सहयोग का नाम तथा पता ।
2. सहयोग करार का दिनांक ।
3. तैयार की जाने वाली मदें ।
4. सहयोग किस प्रकार का है ।
5. सहयोग कब तक वैध है ।
6. अन्य कोई सूचना ।

(9) ग्यारहवें येन क्रेडिट (परियोजना अंश) के अन्तर्गत विकास परियोजना के लिए अर्थयुक्त किए जाने के लिए अनुबन्ध-2 के अनुसार अतिरिक्त सूचना (तीन प्रतियों में) संविदा को अर्थयुक्त किए जाने से पूर्व परियोजना का अनुमोदन संबंधित जापानी प्राधिकारियों से प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना है ।

8. ग्यारहवें येन क्रेडिट (परियोजना अंश) के अन्तर्गत अर्थयुक्त की गयी परियोजना के लिए परियोजना प्राधिकारियों को वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, डब्ल्यु ई–1 अनुभाग को प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहले छः माह की अवधि के लिए एक प्रगति पत्र (तीन प्रतियों में) भेजना है ।

9. **अनुबन्ध–1 में उल्लिखित विशेष धारा को संविदा में शामिल किया जाना चाहिए ।**

10. संविदा के अन्तर्गत संभरकों को सभी प्रकार के भुगतान जिसमें बीजक मूल्य के 1/20 की दर से चढ़ाने उतारने का खर्च भी शामिल है, जहां आवश्यक हो, टोकियो स्थित भारत के राजदूतावास के माध्यम से सरकार द्वारा किए जाएंगे । **इस आयात लाइसेंस के लिए भारत से किस प्रकार का प्रेषण स्वीकार्य नहीं होगा ।**

11. टोकियो स्थित भारत के राजदूतावास द्वारा येन राशि में चुकता किए गए सभी समतुल्य रुपये का भुगतान परियोजना प्राधिकारियों को या उसके बैंकर को नीचे संकेतित परिवर्तन की दरों पर करना पड़ेगा :—

सार्वजनिक सूचना संख्या 15—आईटीसी (पी० एन०)/72, दिनांक 28-1-72 में यथा निर्धारित फार्मूले के अनुसार परिवर्तन की दर या समय समय पर सार्वजनिक सूचनाओं/ए० डी० परिपत्रों में अधिसूचित दर पर संभरक को (या उसके बैंकर को) येन में सभी प्रकार के किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये ।

12. सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के मामले में, उपर्युक्त शर्त 9 में उल्लिखित रुपये को तथा उस पर संभरकों को किए गए भुगतान की तारीख तथा संगत रुपये भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए 6 रुपये प्रति सैंकड़े प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ० 32(1)ई०सी०ए० (ए)/66 (पी०), दिनांक 20/24-10-66 की शर्तों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों द्वारा नामित भारत के स्टेट बैंक की किसी भी सम्बद्ध शाखा द्वारा नियंत्रक, सहायता लेखा, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को अवगत कराते हुए सार्वजनिक सूचनाएं : 184—आई० टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 30-8-68 तथा 233—आई० टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक दिनांक 24-10-68 में यथा अपेक्षित सरकार के लेखा क्रेडिट के लिए भारत के रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में जमा कराना चाहिए या भारत के स्टेट बैंक तीस हजारी दिल्ली-6 के एजेंट के नाम में निकालने के लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण किया जाना चाहिए। क्रेडिट किए जाने वाले लेखा का शीर्ष है—"टी-डिपाजिट्स एण्ड एडवान्सेज—पार्ट-3 डिपाजिट्स नोट बियरिंग इन्टरेस्ट-सिविल डिपाजिटस् फायर परचेजेज एण्ड अन्डर डायरेक्ट पेमेंट प्रासीजर अन्डर फारेन लोन्स/क्रेडिटेस" विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत—"डिपाजिट्स फार कास्ट आफ एक्वीपमेंट ई०टी० सी० आवटेन्ड अन्डर दि एलेवेन्थ येन क्रेडिट आम जापान।" चालान में विभिन्न कालमों को भरते समय , आयातकों/उनके बैंकरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक सूचना संख्या : 132—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-1971 की कंडिका 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम में "प्रेषण तथा प्राधिकारी (यदि कोई हो) का पूर्ण विवरण" निरपवाद रूप से संकेतित है। इसके बाद, निक्षेप को साक्ष्यांकित करते हुए राजकोष चालान को एक्सिम बैंक की अनुमोदन संख्या का संदर्भ देकर नियंत्रक, सहायता लेखा, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, नई दिल्ली को भेजना चाहिए। भारतीय सम्बद्ध बैंक भी भारत सरकार द्वारा संकेतित छोटे मोटे निक्षेपों के लिए इसी विधि से निक्षेप करने की व्यवस्था करेंगे। भारत के स्टेट बैंक की सम्बद्ध शाखा भारत के लेखा में उपर्युक्त संकेतित अनुसार निक्षेपों की व्यवस्था करने के बाद ही प्रलेखों के परक्राम्य सेट जारी करेगी। उन्हें लाइसेंस की मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति में निक्षेप की गई धन राशि को भी संकेतित करना चाहिए तथा आवश्यक 'एस' प्रपत्र को भारत के रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए।

नोट : उपर्युक्त शर्त हिन्दुस्तान स्टील लि० के लिए लागू नहीं है, जो महालेखापाल, बिहार के साथ एक आवर्ती निक्षेप लेखा रखता है जिसके लिए नीचे की कंडिका 13 में संकेत किए गए के अनुसार आवश्यक नाम खाते में वृद्धि की जायेगी।

13. केन्द्रीय राज्य सरकारों (जिसमें राज्य विद्युत बोर्ड आदि भी शामिल हैं) के विभागों द्वारा किए गए आयातों के मामले में, अर्थकार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा अनुभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए परामर्शों के आधार पर महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व द्वारा सम्बद्ध महालेखापाल के मद्दे समतुल्य रुपये के लिए नाम खाते में वृद्धि की जाएगी ।

14. आयातक को चाहिए कि वह किए गए पोत लदान तथा उसके मद्दे संभरकों को किए गए भुगतान तथा रहे हुए शेष के सम्बन्ध में डब्ल्यू ई–1 अनुभाग के प्रयोग के लिए एक अतिरिक्त प्रति के साथ प्राधिकार पत्र की स्थापना हो जाने के बाद एक मासिक रिपोर्ट नियंत्रक, सहायता लेखा, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें ।

15. संविदा के सम्बन्ध में यदि कोई महत्व पूर्ण परिवर्तन होता है, तो वही प्रक्रिया मुख्य संविदा के साथ भी अपनाई जानी है और संविदा के सम्बन्ध में किए गए संशोधनों की तीन प्रतियां दोनों पार्टियों से विधिवत् हस्ताक्षरित करा कर वित्त मंत्रालय, (अर्थकार्य विभाग) (डब्ल्यू ई–1 अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

अनुबंध–1

ग्यारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तपुक्त की जाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र संविदाओं में समाविष्ट की जाने वाली विशेष धाराएं

(क) भारत के लिए ग्यारहवें येन क्रेडिट से संबंधित दिनांक 1–2–1972 के ऋण करार के अनुसार प्रस्तुत निर्यात आयात संविदा की व्यवस्था की जाती है ।

(ख) प्रस्तुत निर्यात-आयात संविदा भारत सरकार और जापान करार के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी ।

(ग) इस संविदा के अन्तर्गत निर्यातक को येन में भुगतान जापान में स्थित भारत के राजदूतावास द्वारा बैंक आफ इंडिया लि० टोक्यो के माध्यम से इसके अन्तर्गत लिए गए अपेक्षित दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर और इस संविदा के नियमों के अनुसार किए जाएंगे । जापान में स्थित भारत के राजदूतावास के सलाहकार (आर्थिक) अथवा प्रथम सचिव अथवा द्वितीय सचिव (आर्थिक) संलग्न प्रपत्र के रूप में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगी ।

(घ) निर्यातक एतद्द्वारा ऐसी जानकारियों और दस्तावेजों को भेजने के लिए राजी होता है जो येन क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार और भाग लेने वाले जापानी बैंकों द्वारा मंगी जाए ।

(ङ) निर्यातक एतद्द्वारा भारत के राजदूतावास टोकियों के साथ परामर्श करने पर पोत लदान के लिए व्यवस्था करने के लिए राजी होता है । इस प्रयोजन के लिए निर्यातक संबंधित माल छुड़ाई कार्यक्रम के लिए भारत के राजदूतावास, टोकियो को सूचित करेगा और आवश्यक पोतलदान के लिए भारत के राजदूतावास को कम से कम 4 सप्ताह पहले अधिसूचित करेगा ताकि उपयुक्त व्यवस्थाएं की जा सकें । विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक चाहें तो इस नोटिस की अवधि को घटाया जा सकता है ।

(च) निर्यातक प्रत्येक पोतलदान के बाद आवश्यक ब्योरे देते हुए आयातक को तार परामर्श देने के लिए राजी होता है और भुगतान का दावा करते समय अन्य दस्तावेजों के साथ तार परामर्श की एक प्रति भारत के राजदूतावास, टोकियो को भेजे जाएगी । (यह धारा केवल उन मामलों में जोड़ी जाएगी जहां बीमे की व्यवस्था आयातक द्वारा की जानी है ।)

(जापानी प्रयोजक बैंक)

अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र सं०

.....येन राशि के लिए जो

.....को समाप्त हो रही हैं।

हम एतद् द्वारा अनुरोध करते हैं कि इस अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र के लिए आप (निर्यातक) को सूचित करें और हम (निर्यातक) के खाते के लिए निम्नलिखित अपराक्राम्य दस्तावेजों की प्रतियों के दो सेट के प्रस्तुत करने पर जापानी विदेशी मुद्रा विनिमय के अनुसरण में, टोकियों में स्थित भारत के

राजदूतावास के माध्यम से धनराशि अथवा धनराशियों जो.....येन से अधिक नहीं हैं अदा करने का पक्का वचन देते हैं :—

(1) हस्ताक्षरित बीजक.....प्राधिकार पत्र सं०.....
.....को उद्धृत करते हुए दिनांक.....
आयात लाइसेंस सं०.....दिनांक, (निर्यातक) और (आयातक) के बीच की गई संविदा की सं०.....दिनांक,.....
भारत सरकार की पंजीकरण सं०.....और जापान के निर्यात-आयात बैंक के अनुमोदन सं०.....की अधिसूचना ।

(2) "जहाज पर" पूरे कर लिए गए लदान, समुद्री लदान पत्र जो दिनांक
से बाद के नहीं है और जिन पर (आयातक) के लिए किए गए "अंतिम स्थान तक भाड़ा अदा किया गया है/भाड़ा अदा किया जाना है" चिह्नित है और जो.....
.....अधिसूचित करते हैं कि पूरे सेट और

(3) (संविदा के अन्तर्गत यदि अन्य दस्तावेज अपेक्षित हैं तो वे पूरे किए जाने हैं)
.....से.....तक (माल) के लदान को शामिल करते हुए वाहनान्तरण स्वीकृत हैं/स्वीकृत नहीं हैं । आंशिक लदान स्वीकृत हैं/स्वीकृत नहीं हैं ।

उपर्युक्त दस्तावेज और अपराक्राम्य प्रतियां (जापानी प्रयोजित बैंक) को दिनांक.....
.....से पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए । आपके द्वारा सभी अपराक्राम्य दस्तावेज हवाई डाक द्वारा (आयातक के या उसके बैंकर के जैसा भी मामला हो, नाम में और पते पर) भेजे जाने चाहिएं ।

टिप्पणी:— सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के मामले में सभी अपराक्राम्य दस्तावेज स्टेट बैंक आफ इण्डिया की नामित शाखा को भेजे जाने हैं और न कि आयातक को सीधे भेजे जाने हैं ।

अनुबन्ध—2

ग्यारहवें प्लेन क्रेडिट (परियोजना भाग) के अन्तर्गत अर्थयुक्त की जाने वाली परियोजना के सम्बन्ध में भेजी जाने वाली जानकारी।

1. अर्थयुक्त करने के लिए आवेदित राशि
 1. अर्थयुक्त करने के लिए आवेदित कुल परियोजना राशि ।
 2. अर्थयुक्त करने के लिए आवेदित संविदा राशि ।
2. उद्योग का ब्योरा
 1. नाम
 2. स्थान
 3. संक्षिप्त विवरण
 4. मुख्य स्वामी अथवा शेयरधारी और प्रबन्धक
 5. 3 वर्ष के लिए वित्तीय विवरण (पक्का चिट्ठा, लाभ हानि का विवरण)
 6. कर्मचारियों की संख्या ।
3. परियोजना का ब्योरा
 1. स्थान (साइट क्षेत्र आदि)
 2. आयोजित क्षमता
 3. परिवहन सुविधाएं
 4. बिजली और पानी की पूर्ति
 5. कच्चे माल की पूर्ति
 6. मजदूरी का सम्भाव्य साधन
 7. स्थापन योजना
 8. बिक्री क्षमता
 9. आरम्भिक अवधि और पूर्ण रूप से उत्पादन होने के बाद की अवधि के दौरान प्रत्याशित बिक्री कीमत और कुल मासिक बिक्री ।
 10. वित्तदान और पूंजी आवश्यकताएं
 11. उप-ऋण करार के नियम और शर्तें ।

परिशिष्ट–2

ग्यारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में आयात के लिए लाइसेंस लिए जाने के लिए शर्तें ।

1. आदेश देने के लिए लागत बीमा भाड़ा के आधार पर प्रारंभिक चार माह की अवधि के लिए तथा पातेलवान को पूरा करने के लिए 12 महीने की अवधि के लिए अवधि आयात लाइसेंस जारी किए जाएंगे । आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को चाहिए कि वे उनके विवरणों से अर्थकार्य विभाग को अवगत करावे और आदेश देने के लिए लाइसेंस की वैध "अवधि के भीतर आयात संविदा भेजे । इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि संविदा के पूरे विवरण ठीक समय पर अर्थकार्य विभाग के पास नहीं पहुंच जाते ।

2. येन मुद्रा में निश्चित कीमत के आधार पर आदेश जापानी संभरकों को आयात लाइसेंस जारी होने के चार माह के भीतर अवश्य दे दिए जाने चाहिए । यदि आवश्यक हुआ तो लाइसेंस को आदेश देने के लिए पुनर्वेध कराने के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को यह कारण बताते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है कि आदेश चार माह के भीतर क्यों नहीं दिए जा सके । आवेदन पर विचार अर्थकार्य विभाग के परामर्श से पात्रता के आधार पर किया जाएगा और यदि वह स्वीकृत हो जाता है, लाइसेंस आदेश देने के लिए और अधिक अवधि के लिए पुनर्वेध हो जाएगा और यह तीन मैंह से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा ।

3. संविदा लागत और भाड़ा के आधार पर होनी चाहिए और यदि, भारतीय अभिकर्ता का कोई कमीशन हो तो उसे छोड़ कर जहाज पर्यन्त निःशुल्क तथा भाड़ा राशि को अलग प्रदर्शित करते हुए येन मुद्रा में माल के मूल्य को साफ साफ संकेत करना चाहिए ।

संविदा को ग्यारहवें येन क्रेडिट के अंतर्गत अर्थ युक्त किए जाने के लिए भारत सरकार तथा जापान सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है ।

4. नीचे उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों में आने वाली प्रत्येक संविदा का मूल्य प्रत्येक श्रेणी के सामने संकेतित धनराशि से कम नहीं होना चाहिए :—

श्रेणी	धनराशि (येन मिलियन में)
1. पूंजीगत माल	30
2. रोल्स, इस्पात जिसमें विशेष इस्पात तथा मिश्रधातु इस्पात, रसायन शामिल हैं ।	10
3. भारत—जापान संयुक्त उद्योग	2

5. आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। किसी विशेष मामले में, दो संविदाओं की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए लाइसेंस जारी होने के एक माह के भीतर अर्थकार्य विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

एक अकेले साख-पत्र की स्थापना अनुमोदित संविदा की पूरी राशि के लिए की जानी है।

6. संविदा की व्यवस्था नकद भुगतान के आधार पर अर्थात् पोत लदान प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण पर होना चाहिए। गैर परियोजना ऋण के अन्तर्गत की संविदाओं को भी नीचे के अनुसार माल की छुड़ाई की अवधि के लिए व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए :—

"प्राधिकरण-पत्र की प्राप्ति के———माह के भीतर, किन्तु अधिक से अधिक जून, 1974 के अन्त तक पूरा किया जाना है।"

गैर परियोजना तथा परियोजना आयातों से सम्बन्धित संविदाओं के लिए क्रमशः 30 जून, 1973 और 31 दिसम्बर, 1974 के बाद किसी प्रकार के भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती।

7. भारतीय आयातकों तथा जापानी संभरकों के बीच भी संविदा की तीन प्रतियां जो दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित है, बंध आयात लाइसेंस की एक प्रति के साथ वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, (डब्ल्यु ई-1 अनुभाग), नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली को अग्रसारित की जानी चाहिए और उसके साथ उस विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी से प्राप्त एक पत्र (अनुबंध 1) भी भेजना चाहिए जिसके माध्यम से संभरक के नाम में साख-पत्र की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, तीन प्रतियों में एक विवरण के साथ जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल हो, ग्यारहवें येन क्रेडिट के अंतर्गत संविदा को अर्थयुक्त किये जाने के लिए आवेदन करना चाहिए :—

(1) भारतीय आयातक का नाम, डाक तथा तार के पते।

(2) जापानी संभरकों का नाम तथा पता।

(3) जापान में संभरक बैंक तथा भारत में आयातक बैंक नाम और पता। आयातक बैंक के तार के पते को भी संकेतित किया जाना चाहिए।

(4) जहाज पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य तथा भाड़ा प्रभारों को अलग से संकेतित करते हुए विनिमय की मिली जुली दर पर परिवर्तित जापानी येन तथा भारतीय रुपये में संविदा का मूल्य।

(5) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण।

(6) इस संविदा के अंतर्गत संभरकों को किए जाने वाले भुगतानों की संभावित तारीख तथा धन राशि को संकेतित करते हुए एक अनुसूची।

(7) आयात लाइसेंस की संख्या तथा तारीख।

(8) प्रक्रम (अनुबंध 1) के बैंक के पत्र की संख्या तथा दिनांक।

(9) यदि परियोजना भारत-जापान उद्यम की है, तो उसका संकेत कीजिए । यदि ऐसा है तो सहयोग करार के निम्नलिखित विवरण चाहे वे आर्थिक हों या तकनीकी, यदि सहयोग करार अभी भी वैध है, तो उसका स्पष्ट रूप में संकेतित करते हुए उसे एक नोट में दिया जाना चाहिए :—

1. जापानी सहयोग का नाम तथा पता ।
2. सहयोग करार का दिनांक ।
3. तैयार की जाने वाली मदें ।
4. सहयोग किस प्रकार का है ।
5. सहयोग कब तक वैध हैं ।
6. अन्य कोई सूचना ।

(10) ग्यारहवें येन क्रैडिट (परियोजना अंश) के अन्तर्गत विकास परियोजना के लिए अर्थयुक्त किए जाने के लिए अनुबन्ध –2 के अनुसार अतिरिक्त सूचना (तीन प्रतियों में) संविदा को अर्थयुक्त किए जाने से पूर्व परियोजना का अनुमोदन सम्बन्धित जापानी प्राधिकारियों से प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना हैं ।

8. ग्यारहवें येन क्रेडिट (परियोजना अंश) के अन्तर्गत अर्थयुक्त की गई परियोजना के लिए परियोजना प्राधिकारियों को वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग को प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहले छः माह की अवधि के लिए एक प्रगति पत्र (तीन प्रतियों में) भेजना है ।

9. अनुबन्ध–1 में उपलिखित विशेष धारा को संविदा में शामिल किया जाना चाहिए ।

10. येन क्रैडिट के अन्तर्गत संविदा को वित्त युक्त किए जाने के लिए जैसे ही एक्सिम बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो आयातक को अनुबन्ध-3 में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक बैंक गारन्टी (उसकी एक प्रति के साथ) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (डब्ल्यू ई–1) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजने की सलाह दी जाएगी ताकि वे जापानी बैंक में अपरिवर्तिनीय साख-पत्र खोलने की अनुमति देने में समर्थ हो सकें । संविदा के सम्बन्ध में जापान के आयात निर्यात बैंक के अनुमोदन की सूचना देते हुए आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त किए गए पत्र के 15 दिनों के भीतर बैंक गारंटी भेज देनी चाहिए ।

11. यदि बैंक गारन्टी सही तरीके में पाई जाती है, तो बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने वाला भारतीय बैंक अनुबन्ध–2 में दिये गये के अनुसार साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत होगा । प्रस्तुत लाइसेंस के भारत से किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा प्रेषण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । ग्यारहवें येन क्रेडिट के लिए विशिष्टिकृत जापानी बैंक द्वारा संभरकों अथवा उनके बैंकरों को भुगतान के लिए साख-पत्र में व्यवस्था की जाएगी ।

12. सम्बन्धित बैंक द्वारा साख-पत्र की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जानी चाहिए :—

(1) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (डब्ल्यू–1 अनुभाग) कमरा नं० 270 नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, और

(2) परामर्शदाता आर्थिक, भारत का राजदूतावास, टोकियो, जापान ।

13. प्रस्तुत लाइसेंस के विपरीत जब और जैसे ही भुगतान किए जाते हैं, आयातकों को अपने बैंकरों के माध्यम से उन्हें अदा किए गए येन राशियों के संतुल्य रुपयों को और इसके साथ निम्नलिखित अन्य राशियां को जमा कराना पड़ेगा :—

(1) सार्वजनिक सूचना संख्या :—15–आई टी सी (पीएन) /72, दिनांक 28–1–72 में यथा निर्धारित या फार्मूले के अनुसार परिवर्तन की दर से या समय समय पर सार्वजनिक सूचनाओं/ ए० डी० परिपत्रों में अधिसूचित दर पर संभरकों को अथवा जापान में उनके बैंक को येन भुगतान के संतुल्य रुपये ।

(2) संभरकों अथवा जापान में बैंक को किए गए भुगतान की तिथि और सरकार के खाते में क्रेडिट के लिए संतुल्य रुपये को जमा करने की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि के लिए 6 प्रतिशत की दर से ब्याज (जब कभी इस दर में परिवर्तन किया जाएगा उसकी सूचना दे दी जाएगी) ।

14. नियंत्रक, सहायता लेखा, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन बीमा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचित करते हुए सार्वजनिक सूचना संख्या: 184–आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30–8–1968 तथा 233–आईटीसी (पीएन) /68, दिनांक 24–10–1968 के अनुसार अपेक्षित उपर्युक्त शर्त 12 में विशिष्टिकृत राशि को सरकार के खाते में क्रेडिट के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली–6, के एजेण्ट के नाम में डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण किया जाएगा । जमा करने के लिए खाते का शीर्ष है "टी डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस–पार्ट–2 डिपोजिट्स नोट बोयरिंग इण्ट्रस्ट–सिविल डिपोजिट्स–डिपोजिट्स फार परचेजेज एन्ड अण्डर डाइरेक्ट पेमेण्ट प्रासिजर अण्डर फारेन लोन्स-क्रेडिट्स" विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत :— "डिपोजिट्स फार कास्ट आफ इक्यूपमेन्ट एक्सेट्रा, आपटेण्ड अण्डर दि एलेवन्थ येन क्रेडिट फ्राम जापान" होगा । चालान में विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को यह सुनिश्चय करना होगा कि सार्वजनिक सूचना–132—आई टीसी (पीएन)।71 दिनांक 5–10–71 की कंडिका 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम में प्रेषण तथा प्राधिकारी (यदि कोई हो) का पूर्ण विवरण निरपवाद रूप से संकेतित है । इसके बाद निक्षेप को साक्षयांकित करते हुए राजकोष चालान को एक्सिम की अनुमोदन संख्या का संदर्भ देकर नियंत्रक, सहायता लेखा, वित्त मंत्रालय, अर्थकाय विभाग, नई दिल्ली को भेजना चाहिए । भारतीय सम्बद्ध बैंक भी भारत सरकार द्वारा सकेतित छोटे-मोटे निक्षेपों के लिए इसी विधि से निक्षेप करने की व्यवस्था करेंगे । गारण्टी देने वाले बैंक को चाहिए कि वे उपर्युक्त संकेतित रुपये के निक्षेपों की व्यवस्था करने के पश्चात् ही आयातकों को परक्राम्य सेट वापिस करें । उन्हें यह भी चाहिए कि वे जमा की गई राशि को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय प्रति पर पृष्ठांकित करें और आवश्यक "एस" प्रपत्र को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बम्बई को भेजें ।

15. साख पत्र के मद्दे भुगतानों के पूर्ण होने के पश्चात् और बैंक गारण्टी के विपरीत संतुल्य रुपये जमा किए जाने के पश्चात् किए गए निक्षेपों का ब्योरा बैंकरों द्वारा गारन्टी को मुक्त करने का अनुरोध करते हुए इन शर्तों के लिए अनुबन्ध-6 में प्रस्तुत किए गए रूप में नियंत्रक, सहायता-लेखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए ।

16. साख पत्र खोले जाने के पश्चात् आयातक को चाहिये कि वह किए गए पोतलदान और उसके लिए संभरकों को किए गए भुगतानों और बाकी बैलेन्स के विषय में एक रिपोर्ट को उसकी एक फालतू प्रति के साथ जो डब्ल्यू--ई--1 विभाग के प्रयोग के लिए होगी, नियंत्रक, सहायता-लेखा, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें ।

17. संविदा के सम्बन्ध में यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो वही प्रक्रिया मुख्य संविदा के साथ भी अपनाई जानी है और संविदा के सम्बध में किए गये संशोधनों की तीन प्रतियां दोनों पार्टियों से विधिवत् हस्ताक्षरित करा कर वित्त मंत्रालय (अर्थकार्य विभाग) (डब्ल्यू-ई--1 अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

अनुबन्ध—1

सचिव,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली ।

विषय :— ग्यारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत जापान से माल का आयात सर्वश्री———————————————— के नाम में ————————————————रु० के लिए जारी किया गया लाइसेंस सं० ————————————————, दिनांक ————————————————

———————

प्रिय महोदय,

हमें एतद्द्वारा, उपर्युक्त आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट मूल्य के बराबर आपके द्वारा संविदा अनुमोदन की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर ही आपके नाम में एक बैंक गारंटी देने का वचन देते हैं ।

2. हम आपके द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, प्राधिकृत राशि के पूरे मूल्य के लिए जापानी बैंक में आवश्यक साख-पत्र की स्थापना करने और आपको उसकी एक प्रति भेजने का भी वचन देते हैं ।

भवदीय

अनुबंध–2

ग्यारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत विनियुक्त की जाने वाली निजी क्षेत्र संविदाओं में समाविष्ट की जाने वाली विशेष धाराएं

(क) भारत के लिए ग्यारहवें येन क्रेडिट से सम्बन्धित दिनांक 20 अप्रैल, 1971 के ऋण करार के अनुसार प्रस्तुत निर्यात-आयात संविदा की व्यवस्था की जाती है ।

(ख) प्रस्तुत निर्यात-आयात संविदा भारत सरकार और जापान सरकार के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी ।

(ग) इस संविदा के अन्तर्गत निर्यातक के लिए येन में भुगतान, भारत में आयातक के बैंक के माध्यम से इस कार्य के लिए नामित किए गए जापानी बैंक से सम्बन्धित प्रारूप में खोले गए पक्के अपरिवर्तनीय साख-पत्र के अन्तर्गत किए जाएंगे ।

(घ) निर्यातक एतद्द्वारा ऐसी जानकारियों और दस्तावेजों को भेजने के लिए राजी होता है जो येन क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार तथा भाग लेने वाले बैंकों द्वारा मांगी जाए ।

(ङ) निर्यातक एतद्द्वारा इसके लिए राजी होता है कि वह लदान सम्बन्धी व्यवस्थाओं के पूर्ण होने के तुरन्त बाद, बीजक की एक प्रति और लदान पत्र की एक प्रति के साथ एक रिपोर्ट भारत का राजदूतावास, टोकियो को भेजेगा ।

अनुबन्ध—3

गारंटी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसके बाद "सरकार" कहा गया) के बदले में ग्यारहवें येन क्रेडिट की शर्तों के अन्तर्गत.....

(जिसे इसके बाद "आयातक" कहा गया) के द्वारा.....

का आयात करने के लिए येन मुद्रा में भुगतान करने का व्यवस्था करने के लिए सहमत होने हुए, हम.....बैंक लि०, आयातक की प्रार्थना पर, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा शीर्ष में सरकारी लेखे में जमा करने के लिए भुगतानों की सूचना की पावती की तिथि से दस दिनों के भीतर जापानी बैंक द्वारा व्यय की गई धनराशि को सार्वजनिक सूचना सं० 15–आई टी सी (पी एन) 172 दिनांक 28–1–72 में निहित अनुसार अथवा सार्वजनिक सूचनाएं ए० डी० परिपत्र में समय समय पर अधिसूचित के अनुसार परिवर्तित मिश्रित दर के हिसाब से और "इस धनराशि में जापानी संभरक को भुगतान होने की तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य रुपया जमा होने की तिथि तक की अवधि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जोड़ कर धन राशि जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। जापानी बैंक से प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को तभी लौटाया जाएगा जबकि उपर्युक्त अपेक्षित रुपया जमा कर दिया गया हो।

2. हम दि.....बैंक लि०, समय समय पर, ऐसे स्थान और ऐसी रीति से जो सरकार निर्दिष्ट करे, आयातक द्वारा सरकार को देय अथवा चुकाने योग्य किसी धनराशि को जो.....रुपये से अधिक न हो, या निश्चित समय के भीतर आयातक द्वारा देय या चुकाने योग्य धनराशि के किसी भाग को, और जापानी सभरक को भुगतान करने की तिथि से पिछलीकडिका में उल्लिखित ब्याज की दर से ब्याज को न चुकाने में आयातक की त्रुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्तिक करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का भी बचन देते हैं। उक्त भुगतान में आयातक द्वारा या उसकी तरफ से किसी प्रकार की त्रुटि और हमारे.....बैंक लि० द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा और हमारे.....बैंक लि० पर लागू होगा।

3. हम..... बैंक लि०, आगे इस बात पर सहमत है कि संविदा के अन्तर्गत आयातों के मूल्य में या जो माल छुड़ाना बाकी है उसके मूल्य में मुद्रा विनिमय की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि समानता दर में वृद्धि होने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है समय समय पर अधिसूचित किए जाने के अनुसार उस परिवर्तन के अनुपात में इस बैंक गारंटी बांड की धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा।

4. हम————————————बैंक लि० आगे सहमत हैं कि इसके अंदर निहित यह गारंटी उक्त करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ] लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक इसके अंतर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्ण रूपेण नहीं चुकाए जाते और इस गारंटी की हैसियत से दावों को पूर्ण नहीं कर दिया गया हो या वे अदा नहीं कर दिए गए हों ।

5. इस गारटी पर आयातक या दि————————————बैंक लि० के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय या समय समय के लिए स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में या आयातक को दिए जा रहे समय के कारण या सरकार की ओर से किसी अन्य स्थगन, निर्णय या छूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी अनुग्रह या कानून के अन्तर्गत प्रतिभूतियों से सम्बन्धित कोई भी मामला या वस्तु जो इस परन्तुक के लिए कि————————————बैंक लि० को इसके दायित्वों से मुक्त करने के लिए प्रभाव डाले, सरकार द्वारा इन मामलों में किसी प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रयोग करने से इस गारंटी के अन्तर्गत कि————————————बैंक लि० अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा ।

6. हम ————————————बैंक लि० अन्त में यह वचन लेते हैं कि सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे ।

7. इस बौंड/गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व————————————रुपये (—*ब्याज और कमीशन प्रभार जिसकी आशा गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है) तक प्रतिबंधित है और यह गारंटी दिनांक ————————————तक और जब तक इस तिथि से 6 महीनें के भीतर इस गारंटी के अन्तर्गत दावे पूर्ण नहीं कर दिए जाते और जब तक अगले 6 महीनों के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए आवेदन या कारवाई नहीं की जाती, तब तक लागू रहेगी। इसके बाद अर्थात् दिनांक————————————तक इस बांड/गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकार समाप्त हो जाएंगे और उसके अन्तर्गत हमारे सब उत्तरदायित्व से हमें छुटकारा और कार्य मुक्ति मिल जाएगी ।

दिनांक ————————19

कृते————————बैंक लि०

हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

श्री————————————————

(नाम तथा पदनाम)

हस्ताक्षर ————————————

†जिस तिथि तक साख पत्र को वैध रखने की आवश्कता होती है उस तिथि में एक महीना जोड़ कर यह तिथि गिनी जाएगी ।

टिप्पणी :—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारंटी कार्यान्वित की जानी है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाना है ।

अनुबन्ध–4

(भारत में जारी करने वाले बैंक का नाम)

सेवा में :—

(नामित जापानी बैंक)

(दिनांक)

यह साख-पत्र भारत के लिए ग्यारहवें येन क्रेडिट (गैर-परियोजना सहायता) से सम्बन्धित ऋण करार दिनांक————————के अनुच्छेद–5 के अनुरूप में और जापान के निर्यात-आयात बैंक द्वारा जारी किए गए अनुमोदन-पत्र सं० ————————के अनुसार जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम आप से————————————परामर्श देने के लिए अनुरोध करते हैं कि हमने अपरिवर्तनीय साख स० ————————————आपके नाम में————————————————खाते के लिए उस राशि अथवा उन राशियों के लिए साख-पत्र खोल दिए हैं जो लाभ भोगी के ड्राफ्ट (टों) द्वारा ————————————जगह के लिए उपर्युक्त कुल ————————————मूल्य का आपके (नामित जापानी बैंक) द्वारा लिए गए बीजक मूल्य जो ———————— से ———————— तक के लदान के लिए है और जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाने हैं :—

————————————

————————————

————————————

सभी दस्तावेजों में आयात लाइसेंस सं० और जापान के निर्यात-आयात बैंक की अनुमोदन नोटिस सं० ————————————और आंशिक लदान स्वीकृति है / नहीं स्वीकृत है उसे संकेतित किया जाना चाहिए । वाहनान्तरण स्वीकृत है / नहीं स्वीकृत है । जहाज लदान ————————————से पहले अवश्य हो जाने चाहिए । ड्राफ्ट आदेशिती को ————————————से पहले अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

इसके अन्दर निकाले जाने वाले सभी ड्राफ्ट इस प्रकार चिह्नित होने चाहिए ———— ———————— के अन्तर्गत निकाले जाने के लिए अपरिवर्तनीय क्रेडिट ———————— दिनांक ———————— ।

हम एतद् द्वारा वचन देते हैं कि क्रेडिट की शर्तों के अनुसार और इसके अंतर्गत निकाले गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर स्वीकार किए जाएंगे और आदेशिती को दस्तावेज सौंप दिए जाएंगे ।

आपके बैंक द्वारा सभी परक्राम्य दस्तावेज हमें सीधे हवाई डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए ।

विशेष निर्देश :

1. प्रस्तुत साख पत्र तब तक उपलब्ध नहीं हो सकता जब तक ग्यारहवें येन क्रेडिट (गैर-परियोजना सहायता) से सम्बन्धित ऋण करार दिनांक————————के अनुच्छेद –5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार लाभ भोगी के लिए इस क्रेडिट के लिए दी गई आपकी सूचना के आधार पर उसके सम्बन्ध में वचनबद्ध पत्र जारी करना आपके द्वारा निश्चित और प्रमाणित नहीं कर लिया जाता ।

2. इस साख-पत्र के अन्तर्गत ड्राफ्ट (टों) के भुगतान के साथ साथ, उक्त ऋण करार के अनुच्छेद–5 के अनुसार आपके द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी ।

3. इस साख-पत्र के सम्बन्ध में बैंक के सभी प्रभार हमारे द्वारा ,अदा किए जाएंगे ।

5. इस साख पत्र के अन्तर्गत भुगतान करने की आवधिक तिथि————————होगी ।

भवदीय,

टिप्पणी :— भारत में जारी करने वाले बैंक को चाहिए कि वह साख-पत्र खोलने के सम्बन्ध में, खोले गए साख-पत्र की एक प्रति के साथ, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यु–2 अनुभाग) को अधिसूचित करे ।

अनुबन्ध–5

ग्यारहवें योजना अवधि (परियोजना भाग) के अंतर्गत अर्थयुक्त की जाने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में भेजी जाने वाली जानकारी।

1. अर्थयुक्त करने के लिए आवेदित राशि

 1. अर्थयुक्त करने के लिए आवेदित कुल परियोजना राशि।

 2. अर्थयुक्त करने के लिए आवेदित संविदा राशि।

2. उद्योग का ब्यौरा

 1. नाम

 2. स्थान

 3. संक्षिप्त विवरण

 4. मुख्य स्वामी अथवा शेयरधारी और प्रबन्धक

 5. 3 वर्ष के लिए वित्तीय विवरण (पक्का चिट्ठा, लाभ हानि का विवरण)

 6. कर्मचारियों की संख्या।

3. परियोजना का ब्यौरा

 1. स्थान (साइट, क्षेत्र आदि)

 2. आयोजित क्षमता

 3. परिवहन सुविधाएं

 4. बिजली और पानी की पूर्ति

 5. कच्चे माल की पूर्ति

 6. मजदूरी का सम्भाव्य साधन

 7. स्थापन योजना

 8. बिक्री क्षमता

 9. आरंभिक अवधि और पूर्व रूप से उत्पादन होने के बाद की अवधि के दौरान प्रत्याक्षित बिक्री कीमत और कुल मासिक बिक्री।

10. वित्तदान और पूंजी आवश्यकताएं

11. उपऋण करार के नियम और शर्तें ।

अनुबन्ध—6

बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

सेवा में ,

सहायता लेखा नियंत्रक
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग
जीवन दीप बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

हम बैंक गारंटी सं० ———— दिनांक ———— जो ———— तक बैध है के अन्तर्गत ————————रू० के लिए आने दायित्वों को पूरा करने में हमारे द्वारा निक्षेप किए गए रुपयों की विस्तृत सूचना नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि बैंक गारंटी मुक्त की जाए और हमें वापस की जाए :—

(क) जिस आयातक/लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी उसका नाम और पूरा पता ।

(ख) जापान के एग्जिम बैंक के अनुमोदन की सूचना की सं० और दिनांक

(ग) प्रत्येक भुगतान/पोतलदान के लिए किए गए आयातों और रुपये निक्षेपों के ब्यौरे :—

(1) जापानी संभरकों को किए गए भुगतान अर उनकी तिथियां ।

(2) निक्षेप की राशि, उसकी सं० और दिनांक और राजकोष/बैंक जिसके माध्यम से निक्षेप किए गए हैं उनका संकेत करते हुए किए गए निक्षेप

(3) यदि निक्षेप डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया है तो डिमांड ड्राफ्ट की सं० और दिनांक और उस दल की सं० और दिनांक जिसके अन्तर्गत डिमांडड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली को भेजा गया था ।

टिप्पणी :—एक से अधिक निष्पादन किए जाने पर उपर्युक्त (1) से (3) पर की जानकारी सरणीबद्ध रूप में दी जानी चाहिए ।

(घ) प्रयुक्त तथा शेष अप्रयुक्त राशि (येन में)

2. (क) हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर उल्लिखित अनुमोदन में शेष राशि———— का उपयोग नहीं किया गया है । उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(ख) विषयाधीन बैंक गारंटी के अन्तर्गत हमारे दायित्व विधिवत् पूरे कर दिये गए हैं।

3. हम निवेदन करते हैं कि बैंक गारंटी को रद्द करने के लिए हमें लौटाया जाए।

भवदीय,

(प्राधिकृत अभिकर्ता)

कृते बैंक और बैंक की ओर से)

एम० एम० सेन,

मुख्य नियन्त्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972